

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,

ई:मेल :

dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 85 / 12-1

नई टिहरी, दिनांक- 10/07/ 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय:-

जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार-आली सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेड़ी, कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित निर्माण (लम्बाई 10.45 कि०मी०+2 न० सेतु) सहित 4.41 है० का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (FP/UK/OFC/38456/2019)

सन्दर्भ:-

रीजिनल कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्ति दिनांक:-01-05-2020।

महोदय,

प्रश्नगत परियोजना निर्माण के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर उठाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित है:-

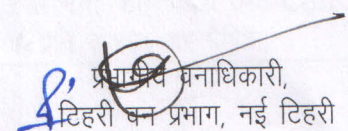
क्र० सं०	आपत्ति	उत्तर
1	Name, designation and official seal of the person issuing authorization letter uploaded at para-A3 (xvii) of part-1 has not been given in the authority letter.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्बन्धित प्रपत्र-1 में अधिकृत अधिकारी का नाम, पदनाम अंकित कर नया प्रमाण-पत्र जारी कर भाग-1 में अपलोड कर दिया गया है। प्रमाण-पत्र की 04 प्रति संलग्न कर प्रेषित।
2	Two name of the proposed road i.e. extension of Maigadhar-Ali-Saruna motor road to Chaunra, Karkhedi, Kot Ghanatgaon, Chanji and Ghansali-Akhori motor road km. 18 to saruna kot chanji motor road are mentioned in all the documents uploaded in online Part-1 and Part-II former road in proposed under District plan and later under PMGSY. This duplicity in the name and schemes could not be understand.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का कार्य पूर्व में अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, घनसाली के द्वारा किया जा रहा था। इस मोटर मार्ग की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार-आली-सरुणा मोटर मार्ग का चौरा, करखेड़ी, घणातगांव होते हुये चांजी तक विस्तार का कार्य नाम से लोक निर्माण विभाग, घनसाली को प्राप्त हुई व वनभूमि प्रस्ताव इसी नाम से गठित किया गया। संयोजित किये जाने वाले गांव कोट की जनसंख्या 250 से अधिक होने के कारण यह मोटर मार्ग पीएमजीएसवाई को शासनादेश संख्या-3769/पी3-19 C.N. Correction/URRDA, दिनांक-28-08-2017 एवं यू०आर०आर०डी०ए० के पत्रांक-5370/पी3-19 C.N. Correction/ URRDA, दिनांक-09-01-2018 के द्वारा हस्तगत किया गया था। तथा कोर नेटवर्क संशोधन के अन्तर्गत पीएमजीएसवाई में इस मोटर मार्ग की प्रशासनिक स्वीकृति घनसाली-अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी० 18 से सरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग के नाम से प्राप्त हुई है। इस कारण प्रस्तावित मोटर मार्ग का नाम पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत घनसाली-अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी० 18 से सरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग रखा गया, शासनादेश तथा Core Network संशोधन पत्र की 06 प्रति संलग्न कर प्रेषित।

3	The start point of one road is mentioned as Km. 3 of Maigadhar-Ali-Saruna motor road to Chaunra, Karkhedi, Kot Ghanatgaon, Chanji and in another one Km. 18 of Ghansali-Akhori motor road . However the end Point is mentioned Chanji in both the names. therefore it appears that both names are different. Hence, it is not understood as to how the documents proposed for one road are used for another road by simply changing the name.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि मैगाधार से चांजी तक इस संरेखण के अन्तर्गत कुल दूरी 13.05 किमी० है, जिसमें से 3.00 किमी० लम्बाई में मोटर मार्ग कटिंग का कार्य अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० घनसाली द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व में किया जा चुका है तथा वर्तमान में 10.05 किमी० भाग का निर्माण कार्य शेष है, जिसका आरम्भिक बिन्दु मैगाधार आली सरुणा मोटर मार्ग के किमी० 3.00 से प्रारम्भ होता है। पीएमजीएसवाई में स्टेज-। के अन्तर्गत निर्माण किये जाने वाले 10.05 किमी० भाग का आरम्भिक बिन्दु भी यही है परन्तु स्टेज-।। के अन्तर्गत सम्पूर्ण लम्बाई 13.05 किमी० की डी०पी०आर० गठित की गयी है जिस कारण मोटर मार्ग का नाम घनसाली अखोड़ी मोटर मार्ग किमी० 18 से सरुणा कोट चांजी प्रस्तावित किया गया तथा मोटर मार्ग का अन्तिम बिन्दु चांजी ग्राम के पास पूर्व से निर्मित धमातोली चांजी मोटर मार्ग पर है।
4	It is mentioned in the justification uploaded at Para D (i) of Part-I that the habitation at end points of the road i.e chanji is already connected by 3 no. of existing roads and the proposed road will serve as a bypass road. Hence the justification for locating the project in forest land does not appear satisfactory and is liable to be rejected in merit. Alternate alignment uploaded at Para D (ii) goes all along proposed alignment which is also not justified.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि इस संरेखण के अन्तर्गत कोट गांव से चांजी तक की दूरी लगभग 4.00 किमी० है यदि इस संरेखण के अन्तर्गत चांजी गांव को संयोजित नहीं किया जाय तो इस स्थिति में कोट गांव से चांजी तक जाने के लिये लगभग 32 किमी० की दूरी अन्य मोटर मार्ग से तय करनी पड़ेगी, जिससे कास्तकारों के धन व समय दोनों की हानि हो रही है। अतः स्थानीय कास्तकारों के हितों एवं सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुए इस मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना को प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर चांजी तक प्रस्तावित किया गया है। साथ ही उक्त संरेखण पर स्थित ग्राम सरुणा, चौंरा, करखेड़ी, गनवाड़ी व चांजी ग्राम सभायें भी इस मोटर मार्ग से लाभान्वित हो रही हैं, जिसके मध्य मोटर मार्ग का संरेखण आरक्षित वनभूमि में लिया गया है व कम से कम आरक्षित वनभूमि की मांगी की गयी है। प्रस्तुत किये गये वैकल्पिक संरेखण के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक समरेखण पर विचार करने पर पाया गया कि यदि मोटर मार्ग हेतु अन्य समरेखण लिया जाता है तो मोटर मार्ग निर्माण में अधिक एच०पी० बैंड व वनभूमि की आवश्यकता होगी साथ ही मोटर मार्ग की लम्बाई में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है जिससे मोटर मार्ग निर्माण हेतु अधिक धनराशि की भी आवश्यकता होगी, जिस कारण वैकल्पिक मार्ग वर्तमान प्रस्तावित/चिन्हित वैकल्पिक संरेखण पर प्रस्तावित किया गया है।
5	In FRA certificate uploaded at para-4, it is mentioned that the 4.41 ha of forest land falls within jurisdiction of Ali, Saruna, Mundeta, Channrn, Kot, Karkhedi, Ghanat-gaon and Chanji villages but the proceedings of Village Level Committee of Ali, Mundeta and Karkhedi are not found uploaded. Further, these 3 villages are not mentioned in the village-wise breakup at para-B- 2.3 of Part-I.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम-आली व मुडेती, लो०नि०वि० अस्थाई खण्ड घनसाली द्वारा निर्मित मैगाधार आली सरुणा मोटर मार्ग के प्रथम 3.00 किमी० लम्बाई के भाग पर स्थित है तथा शेष 10.05 किमी० भाग पर इन ग्रामसभाओं की कोई भूमि स्थित नहीं है जिस कारण इन ग्रामों का FRA नहीं कराया गया है। ग्राम करखेड़ी के FRA certificate uploaded कर दिये गये हैं। व village-wise breakup में सम्बन्धित ग्रामों को अंकित कर दिया गया है। अभिलेखों की 05 प्रति संलग्न कर प्रेषित
6	MoU/Agreement uploaded at Para-L (iv) (g) is for construction of road and not for proposed CA area of Saruna Civil Soyam. Non-encumbrance certificate uploaded at Para-L (iv) (h) is not also relevant/ correct for CA area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि MoU/Agreement तथा Non-encumbrance certificate निर्धारित कॉलम पर अपलोड कर दिये गये हैं, जो 04 प्रति संलग्न कर प्रेषित।

7	Name of CA site and area is not mentioned in the toposheet and georeferenced map uploaded at para-C (v) & C(vi) of Part-I	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Toposheet and georeferenced map पर मार्ग की लम्बाई व CA site का क्षेत्रफल अंकित कर प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर करवाकर प्रपत्र भाग-1 में अपलोड कर दिये गये हैं। जिनकी 04 प्रति संलग्न कर प्रेषित।
8	Name of the proposed road not found in the administrative approval uploaded in additional information in Part-I and the same is also not clear.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Administrative approval पूर्व में लो0नि0वि0, घनसाली को प्राप्त एवं वर्तमान में पीएमजीएसवाई को प्राप्त, दोनों की प्रति अपलोड कर दी गई है। लो0नि0वि0, घनसाली तथा पीएमजीएसवाई को प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की 04 प्रति संलग्न कर प्रेषित।
9	Muck is proposed to be dumped over 0.375 ha of non-forest land (Para-B2.4 of Part-I) but the dimensions and carrying capacity of muck disposal yards have not been given.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Muck dumping yard की dimensions व carrying capacity मलवा निस्तारण योजना में मलवा निस्तारण स्थलों की dimensions एवं carrying capacity अंकित/तैयार कर भाग-1 में अपलोड कर दी गयी है। 04 प्रति संलग्न कर प्रेषित।
10	Canopy density of Vegetation is mentioned as 0.3 in Para-4 (i) of Part-II but 152 trees per ha are likely to account for density higher than 0.3. Further, Keeping in view the kind of trees species found in the area, the Eco-Class is likely to be the also class -VI instead of Eco-class-V.	Density is 0.6. On perusal of working plan, the area is under Eco-class-V.
11	Working Plan Prescriptions have not been given in Para-5 of Part-II	Working Plan Prescriptions भाग-2 के कॉलम-5 पर अंकित कर दिया गया है।
12	Measures to minimize soil erosion have not been suggested by DFO in Para-6 of Part-II	As per report of the geologist "By and large, the alignment alopes are stable and free from any mass wasting/landslide activities". Also, the user agency has proposed that all muck generated will be used in road construction and the rest will be deposited in the muck dumping sites. So to minimize chances of soil erosion it will be ensured that work is carried out as per provisions in the forest land transfer proposal.
13	Name of road is incorrect in CA site suitability certificate uploaded in additional information in Part-II	CA site suitability certificate संशोधित प्रति अपलोड कर दी गई है।
14	Details of data of District Profile though found uploaded at S.No. 4 of additional information in Part-II but the same not been signed by DFO.	Details of data of District Profile नोडल कार्यालय द्वारा इस वन प्रभाग को प्रदान की गई है जिस कारण इस अभिलेख में अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
15	State Govt. may upload work not start certificate duly c/s by DFO.	Work- not start certificate भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
16	State Govt. may mark the location of benefitted village and existing road network in the KML file.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा benefitted village की लोकेशन को KML file पर प्रदर्शित/अंकित कर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

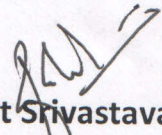
 प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

:: प्रपत्र-1 ::

Mr. Rohit Sirvastav (Assistant Engineer) P.M.G.S.Y., I.D.-1) is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Ghansali Akhori Motor Road Km. 18 to Saruna kot Chanji Motor Road 10.450 km Forest Land 4.410 hect. Transfer Purposal of the Rural Development Department on the Goverment of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Executive Engineer P.M.G.S.Y., Irrigation Division-1, New Tehri (T.G.)

Date 23/05/2020

Signature



Rohit Srivastava
Assistant Engineer
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y., I.D.-1
New Tehri

Admission relative Kopro
under pmgs

सं० 1023 / XI / 19 / 56(63)2018

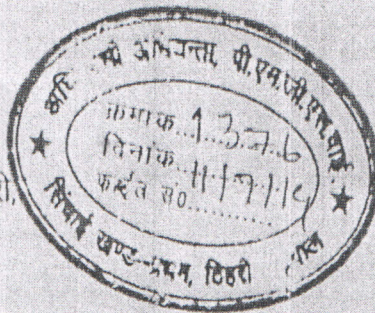
60

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यू0आर0आर0डी0ए0,
देहरादून।



ग्राम्य विकास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 01/07/19

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 फेज-19 बैच-4 में स्वीकृत 163 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्रांक 17024/28/2019-RC (FMS-366024), दिनांक 09.03.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोर नेटवर्क के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-19, वर्ष 2018-19, बैच-4 में कुल 71 (1000+03, 500+ की 17, 250+ की 32 एवं <250 की 7 कलस्टर) असंयोजित पात्र बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु World Bank-Rural Road Project-II (RRP-II)-AF & World Bank RRP-II-AF-G&CR के अन्तर्गत 163 कार्यों (स्टेज-1 के 48, स्टेज-1 व 2 के 05, स्टेज-2 के 101 एवं सेतु के 09), लम्बाई 1212.292 किमी0, लागत रु0 676.83 करोड़ (केन्द्रांश रु0 609.15 करोड़ एवं राज्यांश रु0 67.68 करोड़) की वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 17024/28/2019-RC (FMS-366024), दिनांक 09.03.2019 द्वारा दी गयी है। अतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-19, वर्ष 2018-19 बैच-4 के अन्तर्गत उक्त 163 कार्यों को कोर नेटवर्क के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में कार्यवार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।
संलग्न-यथोक्त।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 1023 / XI / 19 / 56(63)2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. निदेशक (तकनीकी), एन0आर0आई0डी0ए0, 15 एन0बी0सी0सी0 टावर, पंचम तल, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, कुमांऊ मण्डल, अल्मोडा एवं गढ़वाल मण्डल, देहरादून।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, उत्तराखण्ड एवं URRDM
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0) एवं पी0एस0यू0, उत्तराखण्ड ETY URRDM

आज्ञा से,

(डा० राम बिलास यादव)
अपर सचिव।

Photo Copy Attached
Kohli
Assistant
P.M.G.S. YTD 1
NEW TEHRI

Abbrated

Administrative

under PMGSY

Scanned by CamScanner

S. No.	Block	Package No.	Name of the Work	Stage	Length in Km	Total Cost (Rs. in Lacs)	Yearwise Maintenance (Rs. in Lacs)					Total
							Ist yr.	IInd yr.	IIIrd yr.	IVth yr.	Vth yr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
District : Tehri												
133	Narendranagar	UT-11-145	Niger-Khanana M/R Km 3 to Bhadri, L051	II	6.825	339.24	6.40	6.48	10.89	6.13	11.27	41.17
134	Narendranagar	UT-11-110	Kodiyala to Ganglasi, L059	I	9.625	706.42	7.57	7.23	0.00	0.00	0.00	14.80
135	Devprayag	UT-11-117	Naklari to Kotahal (Jhanuni), L048	I	5.400	380.87	4.11	4.03	0.00	0.00	0.00	8.14
136	Devprayag	UT-11-141	Chham (Hindilakhal) to Kandi Bagriyounki, L046	II	2.875	143.70	2.07	2.03	3.78	1.86	3.94	13.62
137	Bhilangana	UT-11-101	Ghansali-Chutti Rd. Km 13 to Kothar, L076	I	3.600	218.65	9.80	9.02	0.00	0.00	0.00	18.82
138	Bhilangana	UT-11-100	Ghansali-Akhori Rd. Km 18 to Saruna Kot Chatti, L075	I	10.050	620.75	7.90	7.81	0.00	0.00	0.00	15.71
139	Bhilangana	UT-11-136	Ghansali - Tilwara Motor Road at Km 8 (Mulyagaun) to Majiyari Mahar, L032	II	16.775	1056.16	15.31	21.59	20.03	24.07	23.55	114.53
140	Bhilangana	UT-11-143	Della to Bhumleth, L055	II	8.250	478.85	5.95	5.86	10.80	5.32	11.33	39.26
141	Bhilangana	UT-11-148	Ghansali-Chutti Rd. Km 27 to Veena, L077	II	6.425	315.63	4.62	4.57	8.52	4.27	8.94	30.92
142	Jaunpur	UT-11-118	R.K.K. Motor Road Km 43.00 to Ringal Garh, L055	I	8.500	506.46	6.66	6.37	0.00	0.00	0.00	13.03
143	Jaunpur	UT-11-119	R.K.K. Motor Road Km. 35.00 to Saigal, L056	I	6.525	413.10	5.12	4.89	0.00	0.00	0.00	10.01
144	Jaunpur	UT-11-156	Badethi-Banchaura M/R to Dhansi, L054	II	5.475	270.84	5.46	4.94	5.75	5.42	7.27	28.84
145	Thauldhar	UT-11-157	Chamba-Uttarkashi MR Km 72.00 to Gajmer, L045	II	4.000	172.90	2.89	2.81	5.24	2.60	5.47	19.01
146	Chamba	UT-11-121	Chamba-Dandachali MR to Digoti, L050	I	3.525	201.73	2.89	2.71	0.00	0.00	0.00	5.60
147	Chamba	UT-11-158	Dandachali to Kainchhu, L047	II	3.500	151.89	2.52	2.46	4.62	2.26	4.82	16.68
15							92.80	79.63	51.93	76.59	390.22	

Photo Copy

Attest

Assistant Engineer
P. M. S. ID 1
TEHRI

Administrative Approval
Under PMGSY PWD

(16)

संख्या:- 6667 / III(2) / 13-32(प्रो0आ0) / 2013

अमित सिंह नेगी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 2 नवम्बर 2013

वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 16 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

594

उक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0/कु0क्ष0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 16 मिकों आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 61.45 किमी0 + 10 सेतु तथा लागत ₹ 738.99 लाख है, पर त्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 634.22 लाख (₹ छः करोड़ चौतीस लाख बाईस हजार मात्र) एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 16 कार्य हेतु ₹ 1.60 लाख (₹ एक लाख साठ हजार राशि, व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निर्वाकित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। सं0-1764 / III(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार जना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ज में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार त्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न दि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत करते समय किया जायेगा।

राने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नज़र रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग शों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी पि न किया जाय।

किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्युरमेन्ट रूलस-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर शा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का या जायेगा।

चिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश न0- 2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में अनुदान सं0-22-लेखाधीनक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य गत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण आय-व्ययक में प्राविधानित निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि न किया जायेगा।

Photocopy
Attached
Link
KE

Photocopy
Assistant Engineer
P.O. G.S.Y. 10-1
J.E.V. TEHRI

Administrative Approval
Under PWD 6667

07

-2-

स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता

पर।
वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा।
स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत
निर्देशन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क
योजना के अंतर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जा सकता है तो
उस कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक पूर्ण रूप
से आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते
दनुसार कार्यवाही की जाय।

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान
22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत
-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 558/XXVII/(2)/2013 दि०: 21 नवम्बर, 2013 में
उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
प्रभारी सचिव

(1)/III(2)/13-32(प्र0आ0)/2013 तददिनांक।

लिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
- मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
- गई बुक।

Photocopy Attested
Rohit
Assistant Eng neer
P.M.G.S.V. ID 1
NEW TEHAI

Photo Copy Attested

AE

आज्ञा से,

(नडिमा)
अनु सचिव

Administrative Approval Under FWS

⑧

-4-

संख्या:- 6667 / 111(2) / 13-32(प्र0आ0) / 2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 का संलग्नक

मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 406/2012 के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में नार-धानी मोटर मार्ग का विनयखाल तक विस्तार का कार्य।	2.00	32.40 (₹11.70 + ₹20.70) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 408/2013 के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में नार-धानी मोटर मार्ग का नारा करखड़ी घण्टा गांव होते हुए चोली तक विस्तार का	10.45 + 18mt + 30 mt	64.49	0.10
मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-409/2013 के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में नारा से आश्रम तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का	3.00	34.18 (₹17.55 + ₹16.63) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 412/2013 के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में नारा-पटुडगांव मोटर मार्ग के कि0मी0-7 (0-2) याड़ा से चकचौड़- भुजनार-मयकोट होते हुए आंध तक मोटर मार्ग का सेतु सहित नव निर्माण।	4.50 + 24mt	46.64 (₹28.01 + ₹18.63) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 417/2013 के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली विकास खण्ड भिलंगना में कफोलगांव नामे तोक से नारा भवन पुर्वाल गांव तक हल्का वाहन मार्ग का मार्ग में परिवर्तन का कार्य।	1.00	5.59 (₹1.45 + ₹4.14) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-721/2012 के अन्तर्गत नारा अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट में नारा नदी पर बिन्ता भिचिलम में पुल का निर्माण।	70 mt	4.49 (₹4.06 + ₹0.43) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-380/2013 के अन्तर्गत नारा बांगेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट में नारा भीड़ा नदी में स्थान भराकाण्डे पर 30 मी0 गैदल गर्डर सेतु का निर्माण।	30 mt	1.20	0.10
नारा अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जगेश्वर के नारा चायखान से रणाऊँ होते हुए ध्यूली धौनी तक नारा मार्ग का नव निर्माण (15मी0 स्पान के 2 नं0 सी0सी0 पुल सहित)।	10.00 + 02 brg	60.60	0.10
	66.45 + 10 brg	634.22	1.60

(कुल ₹ एक लाख साठ हजार मात्र)

Photo Copy Attested

Photo Copy Attested
P.M.G.S.Y. IL 1
NEW TEHRI

(महिमा)

अनु सचिव

Handing over letter



P.O. Pilkhi, Pin Code-249181

Website- <http://pwd.uk.gov.in>

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय-घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT,
GHANSALI, HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR



Phone and Fax No. 01379-258327

E-Mail :- eeepwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक :- 1585 / 10 mg

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड प्रथम,
नई टिहरी।

विषय :- मैगाधार-आली-सरुणा से कोट-घणातगांव-चौरा मोटर मार्ग के अभिलेख हस्तगत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्र संख्या-1121/पी०एम०जी०एस०वाई०सि०ख०प्र०, दिनांक-21.07.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद-टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड-भिलंगना में आली-सरुणा से कोट-घणातगांव-चौरा मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मूल में आपके खण्ड को हस्तान्तरण हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- वनभूमि प्रस्ताव 04 प्रति मूल में।

29.9.18

(इं. एन० एल० वर्मा)

अधिशासी अभियन्ता,

अ.ख., लो.नि.वि., घनसाली,

मुख्यालय-घुमेटीधार

पत्रांक

प्रतिलिपि :-

तददिनांक।

अधीक्षण अभियन्ता, 8वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,

अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली,

मुख्यालय-घुमेटीधार

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-प्रथम
नई टिहरी

क्रांक 1688 श्री. एम. जी. एस. लॉ. सि. व. - नई टिहरी, दि. 6/10/18

प्रतिलिपि :- राक्षसक-अभिप्रेता II को इस-आशय के प्रेषित कि
अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिने गये निर्देशों का पालन
युनिश्चित करें।

08.10.2018

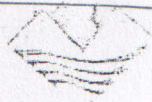
photo copy attester
Rohit
Assistant Eng near
P.M.S. STY-ID 1
NEW TEHRI

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड प्रथम
नई टिहरी

CORE NETWORK CORRECTION

Under PMGSY

मनीषा पवार
प्रमुख सचिव



उत्तराखण्ड सरकार

ग्राम्य विकास विभाग
राजिवालय, 4, सुभाष मार्ग
देहरादून

पत्रांक: 5769/04206

पत्रांक: 1037/2008/15, पं. 1037/2008/15
पत्रांक: 1037-1001/2008/15, पं. 1037/2008/15
दिनांक: 28 अगस्त, 2017

सेवा में,

संयुक्त सचिव (आर0सी0)
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली।

विषय: पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत ऐसी बसावटें जो कोर नेटवर्क में संयोजित दर्शायी गयी, परन्तु वास्तव में असंयोजित है, के संयोजन हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 250 से अधिक जनसंख्या वाली बसावटों के संयोजन हेतु कार्यवाही गतिमान है। उत्तराखण्ड राज्य में 250 से अधिक जनसंख्या की ऐसी 93 बसावटें चिन्हित हुई हैं (छायाप्रति संलग्न), जो कोर नेटवर्क में त्रुटिवश संयोजित दर्शायी गयी है, परन्तु धरातलीय स्तर पर वास्तविक रूप से असंयोजित हैं। ऐसी असंयोजित बसावटों को राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत संयोजित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार उक्त प्रकृति की 93 बसावटों के संयोजन के लिए 86 मोटर मार्ग, लम्बाई अनुमानित-529.31 किमी0 के निर्माण हेतु कोर नेटवर्क में तदनुसार संशोधन एवं डी0पी0आर0-मठन की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पवार)
प्रमुख सचिव

ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (आर.सी.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निदेशक (तकनीकी), एन0आर0आर0डी0ए0, 5वां फ्लोर, 15-एन0बी0सी0सी0 टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।

Photocopy Attached
Row
Assistant P.G. Neer
P.M.G.S.Y. 10-1
NEW TEHRI

प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास विभाग

CORRECTION NETWORK

Dr. I.K. Pateriya
Director (Technical)
Tel No: 26179557
Fax No: 26179555
Email: ik.pateriya@nic.in

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
(ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
National Rural Roads Development Agency
(Ministry of Rural Development, Govt. of India)
5th Floor, 15-NHC Tower, Bhilaji Cama Place, New Delhi-110 060

DO# NRRDA-P017(15)/1/2017-Tech.

Date: 4th January, 2018

Dear Sir,

This is with reference to letter No. 599/XI/17/56/74/2017 dated 15th December, 2017 from Principal Secretary (RD&PR), Government of Uttarakhand regarding habitations wrongly shown connected in Core Network.

2. It is stated in the letter that as per cabinet approval the eligible unconnected habitations for the state of Uttarakhand are 2684, however only 2536 habitations are shown unconnected in Core Network, hence as per the cabinet approval 148/2648-2536; more habitations are eligible for providing connectivity.

3. Further, the state has requested for revision of Core Network for providing connectivity to 93 habitations, so that the DPRs can be prepared and submitted to MoRD for sanction.

4. In view of the above, I am directed to inform that if these habitations are already shown connected in Core Network, you are requested to direct the concerned officials to provide us the following:

- The list of 93 habitations with their original core network details and also indicating the proposed changes in Core Network as per format enclosed.
- Geo Tagged photographs with KML files of the 93 habitations wrongly shown as connected in Core Network. Wherever it is found that the location of the habitation marked on Map is different from actual and the habitation is actually unconnected on ground, it can be considered after due verification at MoRD/ NRRDA.

An early action in this regard is requested.

With Regards,

Yours sincerely,

R. Pateriya
(I.K. Pateriya)

Shri K.K. Srivastava
Chief Engineer,
URRDA, 1st Floor, Directorate of Panchayati Raj,
Opp. I. T. Park, Sahasra Dhara Road,
Dehradun, UTTARAKHAND

Photo copy Attested
Assistant
P.M.G.
NEW TEHRI

CORRECTION NOT WORKY

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क अभिकरण
जिला विभाग, उत्तराखण्ड सरकार, जिला अभिकरण

प्रथम तल, पंचायतीराज भिदेहाला,
आईटी० पार्क के सामने सड़कधारा रोड, देहरादून,
दूरभाष : 0135-2608125, फ़ोन : 2608126
ईमेल : ut-urda@pmgsy.nic.in,
urda@yahoo.com

संख्या: 5270 / पी३-19(CN, Correction) / यू०आर०आर०डी०ए० / 18 दिनांक: ०९ जनवरी, 2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०

गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।

2. मुख्य अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०

कुमाँऊ क्षेत्र, अल्मोड़ा।

विषय: पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत ऐसी बसावटें जो कोर नेटवर्क में संयोजित दर्शायी गयी, परन्तु वास्तव में असंयोजित है, के संयोजन हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: एन०आर०आर०डी०ए० का अर्द्धशासकीय पत्रांक P017(15)/1/2017-Tech. दिनांक 04.01.2018, शासन का पत्रांक 3769/पी३-19(CN)/यू०आर०आर०डी०ए० दिनांक 28.08.2017 एवं 476/Gol/XI/56(74)2017 दिनांक 15.12.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में 250 से अधिक जनसंख्या की पूर्व में आप द्वारा प्रेषित ऐसी 93 बसावटें चिन्हित हुई हैं, जो कोर नेटवर्क में त्रुटिग्रस्त संयोजित दर्शायी गयी हैं, परन्तु धरातलीय स्तर पर वास्तविक रूप से असंयोजित हैं। ऐसी असंयोजित बसावटों को राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत संयोजित किये जाने हेतु शासन के उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा 86 मोटर मार्ग, लम्बाई अनुमानित 529.31 किमी० के निर्माण हेतु कोर नेटवर्क में यथा संशोधन एवं डी०पी०आर० गठन की अनुमति प्रदान करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया था (छायाप्रति संलग्न)। इस आलोक में एन०आर०आर०डी०ए० के उक्त सन्दर्भित अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा प्रश्नगत बसावटों के संयोजन हेतु Geo-Tagged Photographs & .kml file इत्यादि प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। Geo-Tagged Photographs & .kml file बनाते समय स्थानीय सरकारी विद्यालय, जनस्वास्थ्य केन्द्र, पंचायत कार्यालय, मुख्य बाजार इत्यादि को अनिवार्य रूप से दर्शाये, जिसमें उस गांव का नाम अंकित हो। इसे बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो यू०आर०आर०डी०ए० द्वारा नामित नोडल श्री विजय पाल सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता, रुद्रप्रयाग, पी०एम०जी०एस०वाई० से समन्वय स्थापित कर सहायता ली जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकृति की 93 बसावटों के संयोजन के लिए 86 मोटर मार्ग, लम्बाई अनुमानित 529.31 किमी० के निर्माण हेतु (कुमाँऊ क्षेत्र की 37 बसावटों हेतु 32 मोटर मार्ग एवं गढ़वाल क्षेत्र की 56 बसावटों हेतु 54 मोटर मार्ग) कोर नेटवर्क में तदनुसार संशोधन एवं डी०पी०आर० गठन की अनुमति प्राप्त करने हेतु एन०आर०आर०डी०ए० के उक्त सन्दर्भित अर्द्धशासकीय पत्र में उल्लिखित समस्त सूचनायें तत्काल आईटी० नोडल अधिकारी, यू०आर०आर०डी०ए० को उपलब्ध करवाने का कष्ट करें, ताकि उक्त सूचनायें यथाशीघ्र एन०आर०आर०डी०ए० को प्रेषित कर, अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। संलग्नक: यथापरि।

Photocopy attached
Assistant Engineer
P.M.G.S. & ID-1
NEW TEHRI

प्रतिलिपि: निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, कुमाँऊ एवं गढ़वाल क्षेत्र।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू० (पी०एम०जी०एस०वाई०), उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित अपने से सम्बन्धित संलग्न प्रस्तावों पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।
3. श्री विजय पाल सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता, रुद्रप्रयाग, पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई० रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सम्बन्ध में आईटी० नोडल अधिकारी, यू०आर०आर०डी०ए० एवं सम्बन्धित पी०आई०यू० से समन्वय स्थापित कर अपने स्तर से प्रभावी अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

भवदीय
अधीक्षण अभियन्ता एवं
राज्य गुणवत्ता समन्वयक

अधीक्षण अभियन्ता एवं
राज्य गुणवत्ता समन्वयक

CRB Network Correction

District	Block	Detail of Current Network Alignment as per Core			As per Core Network Alignment		Modified Alignment		Remarks
		Habitatation Name Population	Core Code	Habitatation Code	Name of Road with Road No.	Length (km)	Name of Proposed Road	Approx. Length (km)	
Chhatisgarh	Jashwanth	Subhan (526)	5	526	Jashwanth - Malari motor road (T02) NH 58	61.40	Tapovan reongi bhavishyabadi km. 5.00 to Subhan Motor road	5.00	do
	Devani	Devani (638)	5	258	Gwalham - Nandkushtri Motor Road (L030)	4.00	Nandkushtri-Gwalham Motor Road Km 04 to Devani Motor Road	9.00	do
	Kanuprayag	Suran (583)	10	10	Delhi-Kishikesh Badrinath Mana motor road, T91 (NH 58)	31.00	Chaligalla (Chalwa pipal) to siran motor road.	7.00	do
	Ghat	Kanol (955)	328	328	Ghat Sutol Motor Road to Kanol Motor Road, L032	15.00	Ghat Sutol Motor Road to kanol Motor Road	10.50	do
	Ghat	Lakhee (1359)	351	351			Ustoli to Sarpani Lakhee Motor Road	8.00	do
	Ghat	Sarpani (502)	347	347	Ghat to Tharali Motor Road, L035	16.50			do
	Ghat	Syari (1102)	358	358	Nandprayag Ghat Motor Road, T01(ODR)	9.00	Ghat Tharali Motor Road Km 13 to Syari Motor Road	3.00	do
	Ghat	Jakhu (645)	275	275	Dallu-Gazibad-Handwar-Jashwanth-Mana motor road T03(NH 58)	83.00	Nandprayag Ghat Motor Road Km 15 to Jakhu Motor Road	4.50	do
	Ghat	Tangari Malhi (225)	73600	325	Bongdhar Malakhar-Bachuwaaban Motor Road (T01) ODR	54.50	Tangari Talfi to Tangari Malhi Motor Road	3.00	do
	Ghat	Kolani (905)	193400	438	Farkhandley -Mehargau Motor Road (L036)	11.00	Kol-Lambager motor Road (L027) Km 04 to Kolani Motor Road	4.00	do
Chhatisgarh	Ghat	Majera Sar (266)	179700	301	Sera Ashid to Narayan Bhingar, L037	5.00	Farkhandley - Mehargau M.R. Km 15 to Majera Sar Motor Road	6.00	do
	Ghat	Mokh Malhi (612)	00102100	341			Dhuma Kuntli Motor Road Km 2 to Mokh Malhi Motor Road	5.00	do
	Ghat	Kot (278)	00291800	150	Ghansli-Parwali-Akhori Motor Road L022	38.55	Ghansli-Parwali-Akhori Rd. Km 16 to Kot Motor Road	8.00	do
	Ghat	Kothari (405)	00277200	134			Ghansli-Ghatu Rd. Km. 14 to Kothari Motor Road.	3.00	do
	Ghat	Dyung (269)	00275500	67	Ghansli-Ghatu Motor Road L040	31.30	Ghansli-Ghatu Rd. Km. 30 to Dyung Motor Road.	2.50	do
	Ghat	Vesna (279)	00277800	267			Ghansli-Ghatu Rd. Km. 26 to Vesna Motor Road.	6.00	do
	Ghat	Gadner (434)	412500	55	Chamba-Dhanusa Motor Road T02 (SH 53)	25.00	Chamba-Urakushi Motor Road Km. 72.00 (Pipe Mandi) to Gadner	5.00	do
	Ghat								
	Ghat								
	Ghat								

photo copy
 Assistant Eng neer
 P.M.G.S.X. 10-1
 TEHRI

कोर नेटवर्क में आंशिक संशोधन हेतु प्रमाण-पत्र

(ii) बसावटें जो कोर नेटवर्क में दर्शाये गये समरेखण से संयोजित नहीं हो सकती है, व समरेखण में आंशिक परिवर्तन आवश्यक है।

S.No	District	PIU	Block	Name of Unconnected Habitation	Census Code	Population	As per CN Road	Detail of Proposed Road for Connectivity		Approx. Length (Km)	Other Hab. Being connected by the proposed road
								From	To		
1	TEHRI GARHWAL	PMGSY I.D.-1, NEW TEHRI	BHILANGANA	Chaura Kot	288000	279	L022	KM.- 18 of GHANSALI AKHORI MOTOR ROAD	Kot Chaura	11.050	Aali (207), Kot(278), Saruna (372)

क्रमांक (i) हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कॉलम 5 में दर्शायी गयी बसावटें कॉलम 8 में दर्शाये गये मार्ग से संयोजित नहीं। वास्तविक रूप में अभी भी असंयोजित है, एवं कॉलम 9 व 10 द्वारा दर्शाये गये मार्ग से संयोजित होगी तथा यह प्रस्तावित मार्ग ही उक्त बसावट के संयोजन हेतु सभी दृष्टि से उपयुक्त है।

क्षेत्र पंचायत (प्रमुख)

प्रमुख
क्षेत्र पंचायत
भिलंगना, दि०ग०

जिला पंचायत अध्यक्ष
जिला बसावट, दि०ग० भिलंगना

अधिशारी अभियन्ता

जिलाधिकारी

अधीक्षण अभियन्ता

Assistant Engineer-
P.M.G.S.Y I.D.-1st
New Tehri

मा० सासंद
संसदीय क्षेत्र-दिहरी गढ़वाल

मा० विधायक
विधान सभा क्षेत्र-जनसली



पत्रांक-2243 /21(11) याता/2018-19

दिनांक- 22/11/2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
यू०आर०आर०डी०ए०,
प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय,
सहस्रधारा रोड़ देहरादून।

विषय- पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु डी०पी०आर० का प्रेषण।

महोदय

उपरोक्त विषयक कम में अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि०, मसूरी से प्राप्त निम्न सारणी में अंकित डी०पी०आर० संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत कार्यो का पैकेज न० आंशित करने के साथ-साथ एस०टी०ए० से परीक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

क्र० सं०	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि०मी०)	लागत (निर्माण) (लाख में)	लागत (अनुरक्षण) (लाख में)	कुल लागत (लाख में)
जनपद:- टिहरी					
1	घनसाली अखोडा मोटर मार्ग के कि०मी० 18 से सरुणा कोट चाजी मोटर मार्ग स्टेज-11	13.05	787.75	62.08	849.83
2	घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग कि०मी० 13 से कोठार मोटर मार्ग स्टेज-11	3.60	174.60	31.74	206.34
3	दल्ला से भिमलेथ मोटर मार्ग स्टेज-11	8.25	478.85	39.26	518.11
4	कोटी चाजी डखवाड गांव मोटर मार्ग कि०मी० 4 से सिलोस गांव मोटर मार्ग स्टेज-11	4.00	196.69	19.04	215.73

संलग्न- 04 न० डी०पी०आर०, एवं पैकज (दो-दो प्रतियो में)

22/11/18
मुख्य अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
(ग०क्ष०) देहरादून

प्रतिलिपि :-

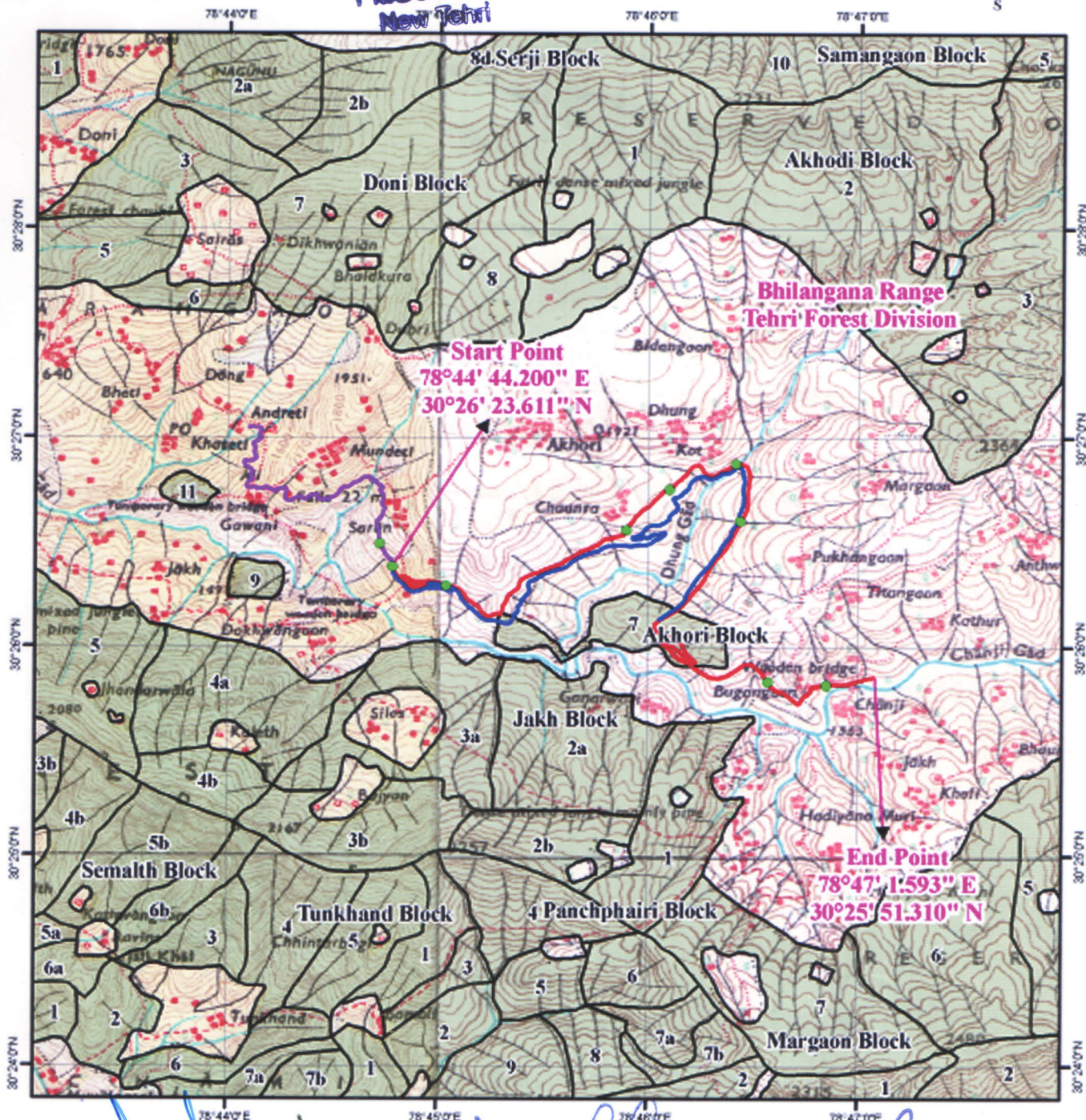
- अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।
- अधिशाली अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख० टिहरी-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Photocopy Attached
Joint
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. ID 1
NEW TEHRI

मुख्य अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
(ग०क्ष०) देहरादून

डिजिटल मैप- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मैगाधार - आली - सरुणा
मोटर मार्ग का चौरा, करखेडी, कोट घृणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण हेतु
आर्डर की लम्बाई 10.450 Km

D.F.O. Tehri
Executive Engineer
PMGSY ID-1
New Tehri



Legend

- Dumping Zone
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Forest Reserve Boundary
- Forest Reserve Boundary

सहसिलदार
घनसाली
टिहरी गढ़वाल

वन क्षेत्राधिकारी
भिलगना रेंज घनसाली
टि 40 20 नई टिहरी
प्रतिहस्ताक्षरित

उप जिलाधिकारी
घनसाली
प्रतिहस्ताक्षरित

अपर जिला अधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
4 नई टिहरी

अपर जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

जीयोरेफरेन्स मैप - जनपद तिहरी गढवाल के अन्तर्गत मैगाधार - आली - सरुणा
मोटार मार्ग का चौड़ा करखेडी, कोट घुणातांगव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण हेतु
10.450 Km

Executive Engineer
PMGSY ID-1
New Tehri

D.F.O. Tehri

प्रतिहस्ताक्षरित

अपर जिला अधिकारी
तिहरी गढवाल

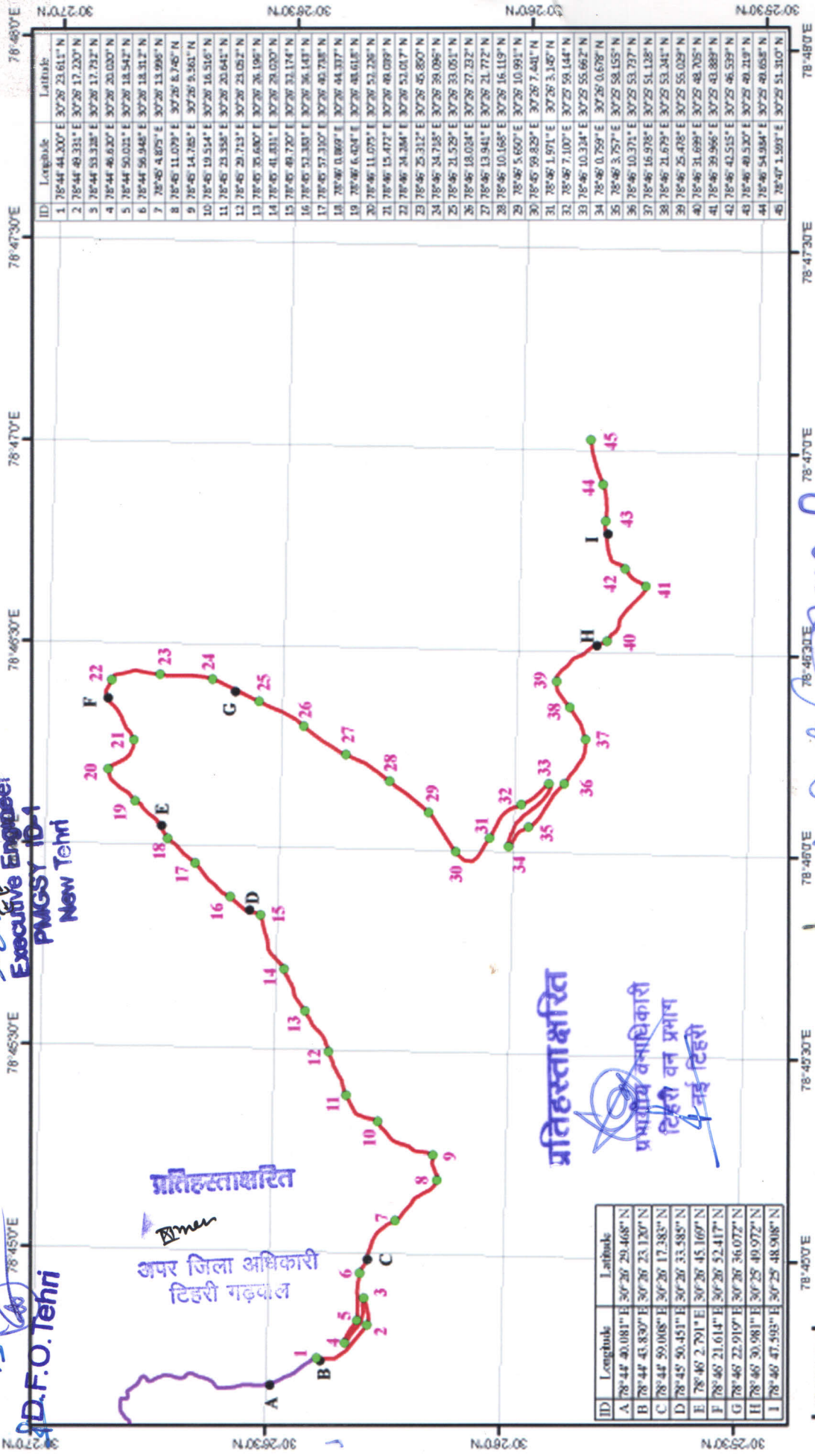
प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
तिहरी वन प्रभाग
4 नई तिहरी

Legend

- Muck Dumping
- Proposed Road
- Existing Road
- GPS Coordinates

ID	Longitude	Latitude
A	78°44' 40.081" E	30°26' 29.468" N
B	78°44' 43.830" E	30°26' 23.130" N
C	78°44' 59.008" E	30°26' 17.383" N
D	78°45' 50.451" E	30°26' 33.585" N
E	78°46' 2.791" E	30°26' 45.169" N
F	78°46' 21.614" E	30°26' 52.417" N
G	78°46' 22.919" E	30°26' 36.072" N
H	78°46' 30.981" E	30°25' 49.972" N
I	78°46' 47.593" E	30°25' 48.908" N



अपर जिला अधिकारी
तिहरी गढवाल

वन क्षेत्राधिकारी

भिलगना रेंज वनसाली

विश्व 200 प्रो नई तिहरी

घनसाली

तिहरी गढवाल

प्रपत्र—

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरुण मोटर मार्ग का चौरा करखेड़ी कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक स्टील गर्डर सेतु सहित विस्तारीकरण कार्य।

पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत नाम— घनसाली अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 18 से सरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

(ग्राम सभा — करखेड़ी, तहसील भिलंगना, जिला टिहरी गढ़वाल)

जिला टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में घनसाली अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 18 से सरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग कार्य की परियोजना के निर्माण कार्य हेतु 0.770 हे0 आरक्षित वन भूमि, 3.640 हे0 सिविल सोयम भूमि एवं 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 4.410 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत करखेड़ी द्वारा दिनांक 28/05/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम करखेड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास अधिकारी
जनपद टिहरी गढ़वाल।



नोट— यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रमाण पत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाय।

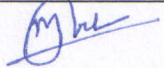
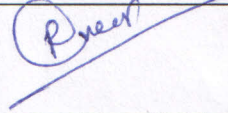
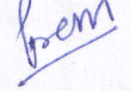
प्रपत्र—

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरुण मोटर मार्ग का चौरा करखेड़ी कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक स्टील गर्डर सेतु सहित विस्तारीकरण कार्य।

पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत नाम— घनसाली अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी 0 18 से सरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग।

दिनांक 30/05/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - करखेड़ी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मनोहर चौधरी पुत्र स्वामी मोती	
2	धनीलाल पुत्र स्वामी पुषो	धनीलाल
3	रगवीर पुत्र बंसत	
4	प्रेमलाल	
5	उदय लाल पुत्र लाललाल	उदय लाल
6	अरुलीया पुत्र स्वामी दोग्राम	murli
		

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरुण मोटर मार्ग का चौरा करखेड़ी कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक स्टील गर्डर सेतु सहित विस्तारीकरण कार्य।

पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत नाम - घनसाली-अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 18 से सरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में प्रस्तावित घनसाली-अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 18 से सरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग हेतु वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 4.410 है0 के विरुद्ध दुगनी क्षेत्रफल 8.820 है0 अनवरत सिविल सोयम भूमि ग्राम-सरुणा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। यह भूमि राजस्व विभाग, टिहरी गढ़वाल के स्वामित्व में है जो उपरोक्त वर्णित योजना हेतु राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

अपर सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड-1,
नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड-1,
नई टिहरी

अधीक्षक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड-1,
नई टिहरी

अधीक्षक अभियन्ता
पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड-1,
नई टिहरी

वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना रमजि - घनसाली
टिहरी गढ़वाल

प्रतिष्ठिताकरित
प्रभारी वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

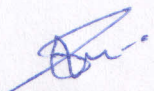
NT GNL
तहसीलदार
घनसाली
टिहरी गढ़वाल

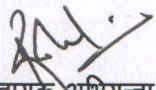
परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरुण मोटर मार्ग का चौरा करखेड़ी कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक स्टील गर्डर सेतु सहित विस्तारीकरण कार्य।

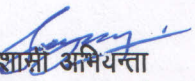
पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत नाम - घनसाली-अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी 0 18 से सरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग।

Memorandum of Understanding

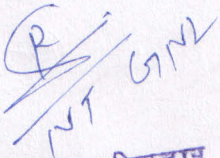
प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम-सरुणा सिविल भूमि क्षेत्रफल 8.820 है०, खसरा नं०-783, 897, 881, 871, 2067 एवं 2156 के मध्य स्थित है। यह भूमि प्रस्ताव विभाग पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड-1, नई टिहरी को क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल हेतु प्रदान की गयी है। मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त यह भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित की जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी


अधिशारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी


वन क्षेत्राधिकारी
भिलंगना रात्रि - घनसाली
टि० नं० 18


तहसीलदार
घनसाली
टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में मैगाधार आली सरुण मोटर मार्ग का चौरा करखेड़ी कोट, घणातगांव होते हुये चांजी तक स्टील गर्डर सेतु सहित विस्तारीकरण कार्य।

पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत नाम – घनसाली-अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 18 से सरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग।

NON- ENCUMBRANCE CERTIFICATE

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली-अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 18 से सरुणा कोट चांजी मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य हेतु प्रभावित वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 4.410 है0 है के हस्तान्तरण मामले में दुगने क्षेत्रफल 8.820 है0 अवनत सिविल सोयम भूमि ग्राम-सरुणा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी एवं ग्रामीण कास्तकारों का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। चयनित स्थल अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं किया गया है एवं चयनित स्थल कर्ज/भार मुक्त है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत सिविल भूमि का राजस्व विभाग द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत सिविल सोयम भूमि पर राजस्व विभाग टिहरी का स्वामित्व है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल सर्वदा उपयुक्त है।

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	ग्राम	खसरा संख्या	कुल रकवा	अर्जित कुल रकवा	परियोजना की		आवेदित क्षेत्र है0	विवरण
								लं0	चौ0		
								6300.00	7.00	4.410	
सिविल एवं सोयम	टिहरी गढ़वाल	घनसाली	भिलंगना	सरुणा सिविल	783	3.636	0.981				क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु टिहरी राजस्व विभाग की दोगुनी सिविल सोयम भूमि
					897	2.883	2.883				
					881	2.181	2.181				
					871	0.504	0.504				
					2067	1.011	1.011				
					2156	1.254	1.254				
						11.469	8.820				

अपर सहायक अभियन्ता

पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड- I,
नई टिहरी

सहायक अभियन्ता

पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड- I,
नई टिहरी

अधीक्षक अभियन्ता

पीएमजीएसवाई सिंचाई खण्ड- I,
नई टिहरी

अधीक्षक अभियन्ता

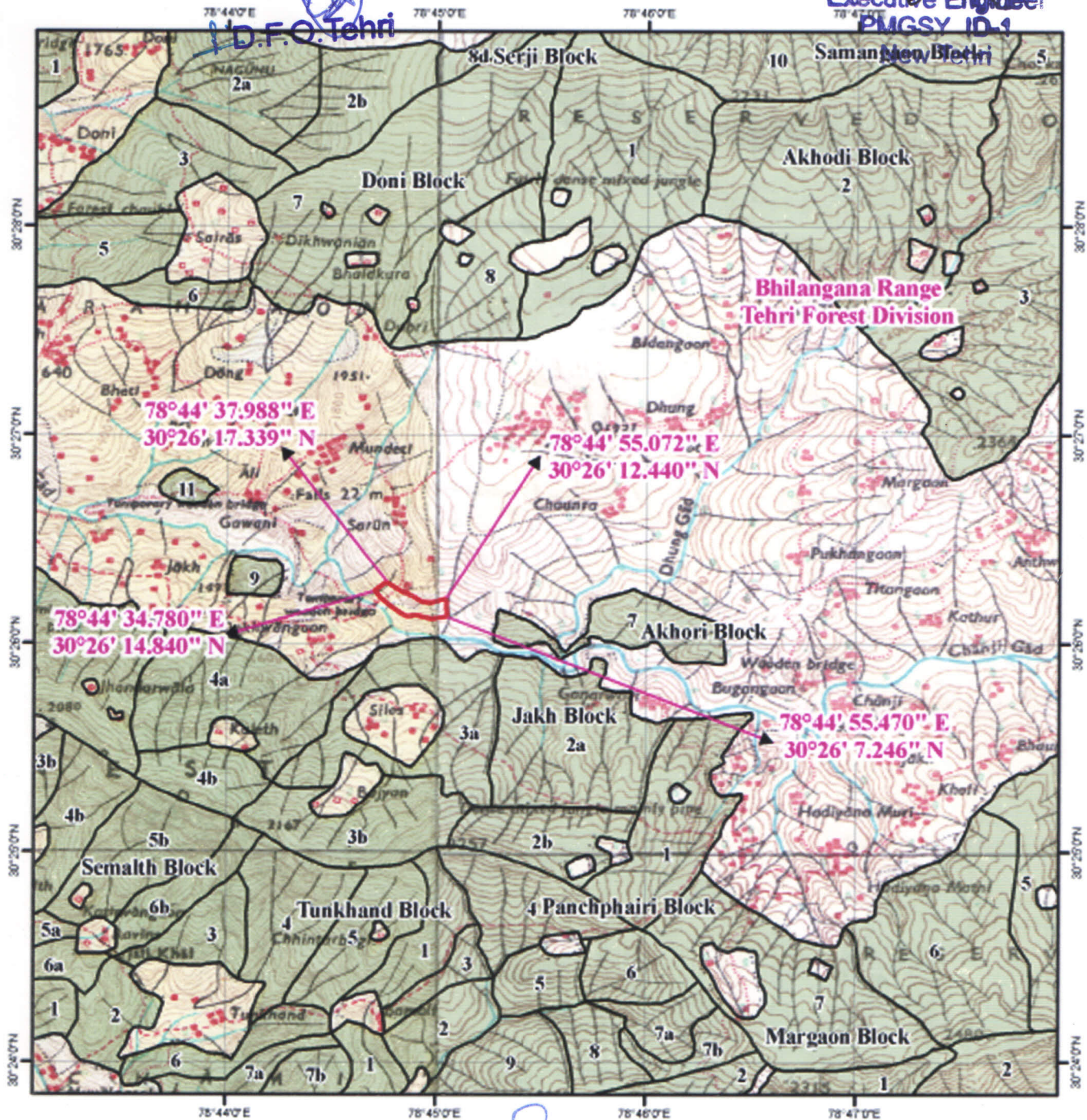
भिलंगना राजस्व - घनसाली
खण्ड- I

तहसीलदार
घनसाली
टिहरी गढ़वाल

डिजिटल मैप- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मैगाधार - आली - सरुणा
मोटर मार्ग का चौरा, करखेडी, कोट घृणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण हेतु
चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

सरुणा सिविल क्षेत्रफल 8.820 हे० 0 0.5 1 1.5 Km लम्बाई 10.450 Km

Executive Engineer
PMGSY ID-1



Legend

- Proposed Plantation
- Forest Reserve Boundary
- Forest Reserve Boundary

वेदसीलदार
घनसाली
टिहरी गढ़वाल
प्रतिहस्ताक्षरित

उप जिलाधिकारी
घनसाली

प्रभारी वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

जीयोरेफरेन्स मैप - जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मैगाधार - आली - सरुणा मोटर मार्ग का चौरा,
करखेडी, कोट घुणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल
सरुणा निम्निलक्ष्म 8.820 हे० 0.025 0.05 1.00 लम्बाई 10.450 Km

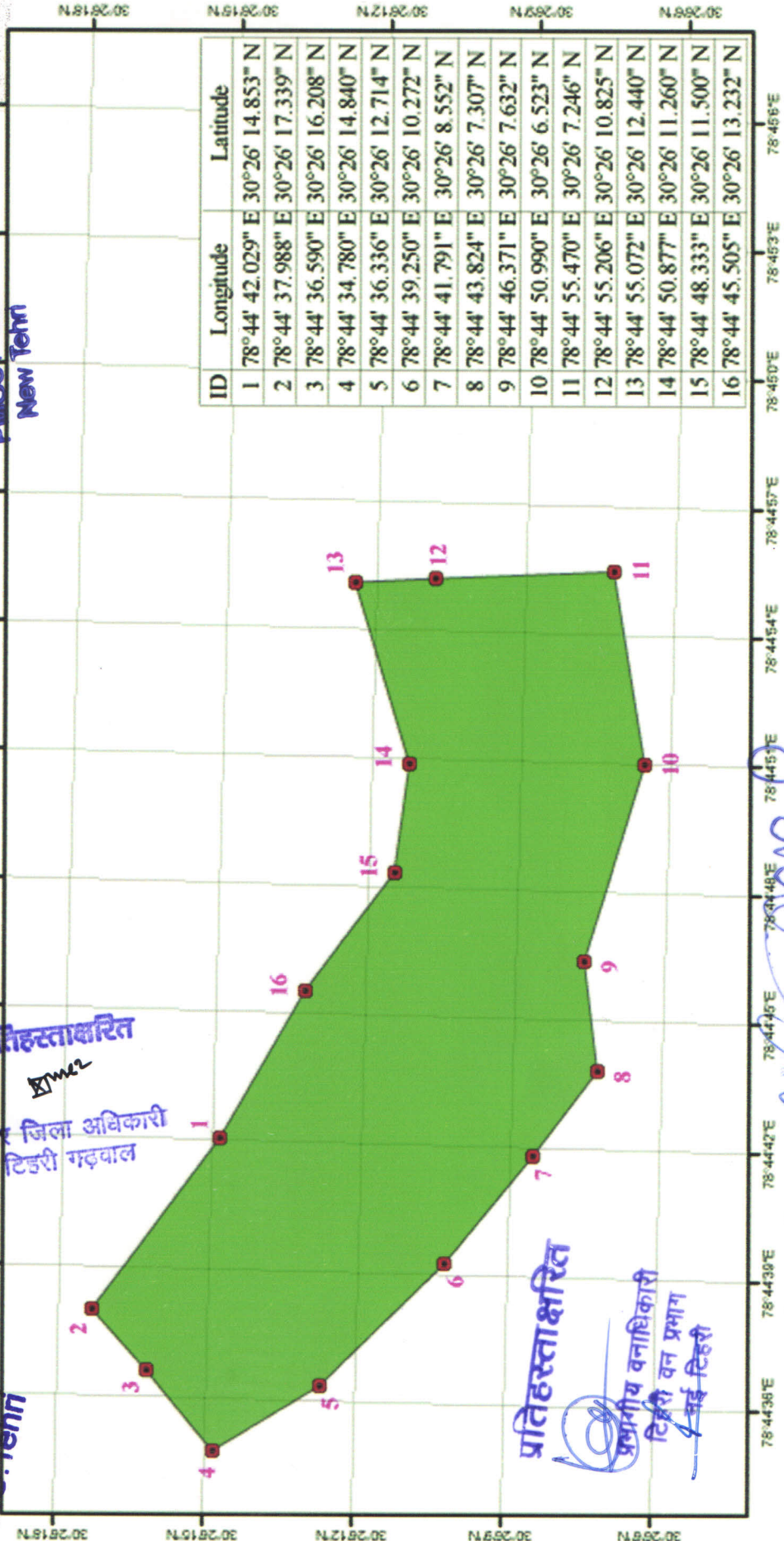


Scale - 1:3,500

D.F.O. Tehri

प्रतिहस्ताक्षरित
जिला अविकारी
टिहरी गढ़वाल

Executive Engineer
PMGSY ID-1
New Tehri



प्रतिहस्ताक्षरित

प्रणालीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी

Legend

Ca Point
CA Land

वन क्षेत्राधिकारी
भिलगना रेंज बनसाली
टि० व० प्र० नई टिहरी

तहसीलदार
बनसाली
टिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
बनसाली

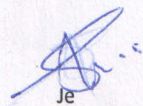
2

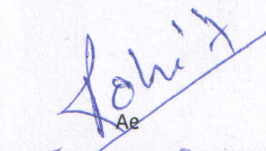
Name Of Road : Ghansali Akhori M/R Km 18 To saruna Kot Chanji M/R
Road Length 10.050 km

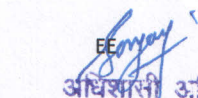
Location And Quntity Of Disposal Material

S.No	Cross Section of Dumping Yard	Type of Land	Khasra No	Size of Dumping Yard			Capacity of Dumping Yard (cum)
				L	B	H/D	
1	Muck Dumpin Yard no 1 x/s km 1.00	Naap Land	828 , 829	80.00	6.00	6.00	2880.00
2	Muck Dumpin Yard no 2 x/s km 1.00	Naap Land	999	26.00	5.00	6.00	780.00
3	Muck Dumpin Yard no 3 x/s km 4.00	Naap Land	2147, 2148, 2149, 2151, 2152, 2153, 2154	215.00	6.00	6.00	7740.00
4	Muck Dumpin Yard no 4 x/s km 6.00	Naap Land	9,11,192	40.00	8.00	6.00	1920.00
5	Muck Dumpin Yard no 5 x/s km 6.00	Naap Land	1111	78.75	8.00	6.00	3780.00
6	Muck Dumpin Yard no 1 x/s km 8.00	Naap Land	477, 428, 429, 430	100.00	5.00	6.00	3000.00
7	Muck Dumpin Yard no 7 x/s km 9.00	Naap Land	511, 512, 513, 514	42.00	5.00	6.00	1260.00
8	Muck Dumpin Yard no 8 x/s km 10.00	Naap Land	516	8.00	3.00	4.50	108.00
9	Muck Dumpin Yard no 9 x/s km 10.00	Naap Land	517 , 518, 519, 520	25.00	6.00	6.00	900.00
			Capacity of Dumming Yard				22368.00

S.No	Total Dabries Received From Hill Side Cutting	Toatal Material Used	Capacity of Dumming Yard	Material Dispola by Cartage in Duming yard	Balance Muck for Duming
1	112120.31 Cum	89755.00 Cum	22368	22365.31 Cum	Nil


Je


Ae
सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सि. व. - प्रथम
नई टिहरी


EE
अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड
नई टिहरी

प्रारूप-50

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार-आली-सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेडी, कोट, घणातगांव होते हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव) (लम्बाई-10.450+2 नं0 सेतु)

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक:-05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :-

- 1- ईको-क्लास श्रेणीV
- 2- हरियाली का घनत्व 0.6
- 3- एन0पी0वी0 की दर प्रति है0-845000.00
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल है0-.... 4.41
- 5- कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि 3726450.00


प्रमाणित वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी